

स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर

(मुमुक्षु आश्रम, शाहजहाँपुर, उ०प्र०, पिन-242226)

Website- ssuniversity.ac.in

E-mail ID - registrarssu26@gmail.com

पत्रांक : 62/Reg.off./SSU/2026-27

दिनांक: 16.06.2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

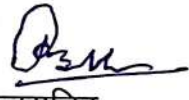
विषय: वर्ष 2026-27 में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी (बरेली मण्डल, बरेली) के पत्रांक- क्षेत्र.का.ब./1257-68/2026-27 दिनांक 16.06.2026 (प्रति संलग्नकों सहित), शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज के पत्रांक संख्या-डिग्री विकास/585/2026-27, दिनांक 12.06.2026 (प्रति संलग्नकों सहित संलग्न), द्वारा शासन के पत्र संख्या 1/1360553/2026/सत्तर-3-2026-1891544, दिनांक 11 जून, 2026 एवं मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु०-5, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-204/81-5-2026/2052619, दिनांक 30 मई, 2026 के अनुपालन हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त पत्र में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कुलपति, स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली मण्डल, बरेली।
5. प्रभारी, मीडिया सेल, स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर।

कुलसचिव

कार्यालय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी (बरेली मण्डल, बरेली)

कार्यालय पता-26 सिविल लाइन्स, आनन्द आश्रम के सामने (काष्ठ कला केन्द्र) बरेली पिन कोड 243005

ई-मेल- rheobareilly@gmail.com Mobile No- 9369450690

पत्रांक: क्षे.का.ब./157-68 /2026-27

दिनांक- 16/6/26

सेवा में,

महत्त्वपूर्ण/रागयवद्ध/ई-मेल/काटसअप द्वारा

क्र. सं.	नोडल अधिकारी का नाम/ पदनाम	महाविद्यालय का नाम	नोडल जनपद का नाम	मोबाइल नं.
1.	डॉ. पंकज अग्रवाल, का. प्राचार्य	वैरागना रानी अवतीबाई लोधी राजकीय महिला महाविद्यालय, बरेली	बरेली	9397005224 9388089424
2.	डॉ० श्रद्धा गुप्ता, का. प्राचार्य	राजकीय महाविद्यालय, बदायूँ	बदायूँ	7923122954
3.	डॉ० सचिन गिहार, का. प्राचार्य	राम तुभाई साहनी राजकीय महिला महाविद्यालय, पीलीभीत	पीलीभीत	9415162370
4.	प्रो. डॉ० श्रीकृष्ण सिंह, का. प्राचार्य	प्रेम किशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय, जलालाबाद, शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	8299784909

विषय- वर्ष 2026-2027 में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०, डिग्री विकास अनुभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज के पत्रांक डिग्री विकास/585/2026-27, दिनांक 12.06.2026 (प्रति संलग्नकों सहित संलग्न) द्वारा शासन के पत्र संख्या 1/1360553/2026/सत्तर-3-2026-1891544, दिनांक 11 जून, 2026 एवं मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु०-5, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-204/81-5-2026/2052619, दिनांक 30 मई, 2026 के अनुपालन हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त निर्देशों के क्रम में समयबद्ध अक्षरशः अनुपालन अपने जनपद के उच्च शिक्षण संस्थानों में सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या निदेशालय की ई-मेल आई.डी. dhedegreevikas@gmail.com एवं इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी. rheobareilly@gmail.com पर समयांतर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें । प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के वृक्षारोपण अभियान के सफल क्रियान्वयन से आच्छादित है । अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है ।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय

प्रो० (डॉ. आर.के. गोस्वामी)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
बरेली

पृष्ठांकन- पत्रांक एवं दिनांक उपर्युक्त ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज ।
- कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली एवं स्वामी शुक्रदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर की सेवा में इस आशय से सादर प्रेषित कि विश्वविद्यालय परिसर, संबंधित राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/ उच्च शिक्षण संस्थानों में वृक्षारोपण के लिये निर्धारित लक्ष्य हेतु गड्ढा खुदवाने एवं इन्डेन्ट जारी कर कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय के माध्यम से समयांतर्गत समेकित कराने का कष्ट करें । साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर नामित नोडल अधिकारी से स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को अपने स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कराने का कष्ट करें ।
- प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबंधक/निदेशक/सचिव/अध्यक्ष, समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/ उच्च शिक्षण संस्थान, बरेली मण्डल (जनपद बरेली/बदायूँ/पीलीभीत/ शाहजहाँपुर) को संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अक्षरशः समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या विश्वविद्यालय एवं जनपद के नोडल अधिकारी (उच्च शिक्षा) को समयांतर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

प्रो० (डॉ. आर.के. गोस्वामी)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
बरेली

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, (30 शि0),
शिक्षा डिप्टी विकास अनुभाग,
आ0 प्र0, प्रयागराज।

अभ्यन्त बहाम्बुर्गी/ ई - मेल/मन्काल

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जनपद नोडल अधिकारी, वृक्षारोपण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: डिप्टी विकास/

585

/2026 - 27

दिनांक:- 12/06/2026

विषय:- वर्ष 2026 - 27 में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-1/1360553/2026-सतर-3-2026-1891544 दिनांक-11.06.2026 के साथ सतन मुख् सचिव, आ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-204/81-5-2026/2052619 दिनांक-30.05.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उच्च शिक्षा विभाग हेतु 20.00 लाख वृक्षारोपण का जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. आप सभी कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक जनपद में वृक्षारोपण सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही करते हुए उसकी सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध करायें। विश्वविद्यालय परिसर, सम्बन्ध राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य हेतु गद्दा खुदवाने एवं इन्डेंट जारी करते हुए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी एवं जिलाधिकारी/ जिला वन अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर नामित नोडल अधिकारी स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को अपने स्तर से आवश्यक दिशा - निर्देश जारी करें।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं जनपदीय नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों से उक्त कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

4. आप सभी पौधारोपण से सम्बन्धित कार्यवाही शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 11.06.2026 एवं 30.05.2026 के क्रम करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से समेकित कराते हुए ही निदेशालय की ई - मेल आईडी dhedgeteevikas@gmail.com पर दिनांक 20.06.2026 तक उपलब्ध करने का कष्ट करें, जिससे शासन को समयान्तर्गत आख्या प्रेषित की जा सकें।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

डॉ० (ज्ञान प्रकाश वर्मा),
संयुक्त निदेशक (आ0शि0),
कृते - शिक्षा निदेशक (आ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या:- डिप्टी विकास/

/उसी तिथि को।

प्रतिनिधि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, आ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उपर्युक्त के संबंध में अपने स्तर से भी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

डॉ० (ज्ञान प्रकाश वर्मा),
संयुक्त निदेशक (आ0शि0),
कृते - शिक्षा निदेशक (आ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

महत्वपूर्ण/ समयबद्ध

संख्या-1/1360553/2026/सत्तर-3-2026-1891544

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,

उच्च शिक्षा,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2. कुलसचिव,

समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,

उत्तर प्रदेश।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, 30प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 11-06-2026

विषय:- वर्ष 2026-2027 में 35.00 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्यों में संशोधन।।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन के पत्र संख्या- 204/81-5-2026/2052619, दिनांक 30 मई, 2026 (छयाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि वर्ष 2026-27 में 35 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 03 मई, 2026 को आयोजित समीक्षा बैठक में विभाग भूमि उपलब्धता एवं संसाधन की उपलब्धता के दृष्टिगत कतिपय विभागों के लिए निर्धारित जनपदवार संशोधित कर दिया गया है। उक्त क्रम में उच्च शिक्षा विभाग हेतु 20.00 लाख वृक्षारोपण का जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2 - इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या निदेशक, उच्च शिक्षा 30प्र0, प्रयागराज के माध्यम शासन को को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAKIL AHMAQ SIDDIQUI

(शकील अहमद सिद्दीकी)

12:35:32

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि अपर सचिव, 30प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

संयुक्त सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या- 204/81-5-2026/2052619

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

16/06/2026
WIPPSHED/2023

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/ प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु0-5

तखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2026

विषय: वर्ष 2026-2027 में 35.00 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्यों में संशोधन।

महोदया/ महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 03 मई, 2026 को आहूत समीक्षा बैठक में भूमि उपलब्धता एवं विभागों में उपलब्ध जनसंसाधन के दृष्टिगत कतिपय विभागों यथा नगर विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, पशुपालन विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, कृषि विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग, गृह विभाग, सहकारिता विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के पौधरोपण हेतु शासनादेश संख्या 12/81-5-2026/1991816 दिनांक 27 जनवरी, 2026 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं।

2- उक्त निर्णय के क्रम में प्रदेश में वर्ष 2026-2027 में 35.00 करोड़ पौधरोपण का विभागवार लक्ष्य निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

(पौध संख्या लाख में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	संशोधित लक्ष्य
1	2	3
1	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	
	(i) वन एवं वन्यजीव विभाग	1400.00
	(ii) पर्यावरण विभाग	139.96
2	ग्राम्य विकास विभाग	1119.15
3	राजस्व विभाग	83.00
4	पंचायती राज विभाग	117.40
5	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	6.50
6	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	10.00

वि0उ0/3.5.

02/05/2026
(अमृता त्रिपाठी)
सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

हस्ताक्षर

01.06.2026
(आर० पी० चौधरी)

निजी सचिव,
प्रमुख सचिव,
राज्य शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

7	नगर विकास विभाग	45.00
8	लोक निर्माण विभाग	14.00
9	जल शक्ति	
	(i) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	10.00
	(ii) नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	7.50
10	रेशम विभाग	14.19
11	कृषि विभाग	250.73
12	पशुपालन विभाग	8.00
13	सहकारिता विभाग	6.50
14	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग	12.00
15	ऊर्जा विभाग	6.50
16	शिक्षा	
	(i) माध्यमिक शिक्षा विभाग	11.00
	(ii) वैसिक शिक्षा विभाग	12.43
	(iii) प्राथमिक शिक्षा विभाग	5.06
	(iv) उच्च शिक्षा विभाग	20.00
17	श्रम विभाग	4.00
18	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	10.91
19	परिवहन विभाग	3.00
20	रेलवे विभाग	12.66
21	रक्षा विभाग	4.95
22	उद्यान विभाग	155.56
23	गृह विभाग	10.00
	कुल:-	3500.00

3- प्रदेश में वर्ष 2026-2027 रोपण हेतु विभागवार/ जनपदवार लक्ष्य परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न हैं।

4- 35.00 करोड़ पौधरोपण के कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जनपदों में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

1. जनपद में जिला वृक्षारोपण समिति की नियमित बैठकें आयोजित कर जनपद हेतु निर्धारित पौध रोपण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रणनीति तथा तैयारी की समीक्षा की जाए।
2. जनपद में वन विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा वृक्षारोपण हेतु तैयार किए गए विभिन्न स्थलों का भौतिक सत्यापन कराकर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृक्षारोपण का कार्य ससमय पूर्ण कराया जाए।
3. सम्पूर्ण राज्य में व्यापक जन सहभागिता के साथ वृक्षारोपण को एक 'उत्सव' के रूप में क्रियान्वित किया जाए।

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम में सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों यथा माओ सांसद, माओ विधायक, माओ महापौर/ अध्यक्ष, नागर निकाय एवं सभी माओ पार्षद/ सभासद, माओ अध्यक्ष, जिला पंचायत/ क्षेत्र पंचायत एवं सभी माओ ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सदस्यगण का सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
 5. समस्त सरकारी/ गैर सरकारी संस्थाओं एवं सिविल सोसाइटी संगठनों यथा एनओसीओ, एनओएसओएसओ, नेहरू युवा केन्द्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, Rotary/ Rotract/ Lions Club, Eco Club, सभी व्यापार मण्डल, किसान उत्पादक संगठन (FPO) आदि की प्रतिभागिता के साथ व्यापक सक्रिय जन सहभागिता के साथ वृक्षारोपण अभियान संचालित किया जाए।
 6. रोपित पौधों/ पौध स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था एवं जियोटैगिंग तत्काल कराकर पौध रोपण के कार्य की समीक्षा Digital माध्यम से की जाए।
- 5- उक्त के अतिरिक्त वृक्षारोपण अभियान, 2026 को व्यापक जनसहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संचालन हेतु दिए गए निम्न निर्देशों का भी अनुपालन कराया जाए:-
1. वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान माओ जनप्रतिनिधियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारियों द्वारा समय से सारी कार्यवाहियां पूर्ण कर ली जाएं।
 2. माओ मंत्री जी/ जनपद के माओ प्रभारी मंत्री जी द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु उचित क्षेत्र/ स्थल का चयन पूर्व से ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कर लिया जाए, जिसमें वृक्षारोपण के पश्चात् रोपित पौधों की समुचित सुरक्षा एवं देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उक्त स्थल पर वृक्षारोपण सामारोह के आयोजन हेतु जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए।
 3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पंजीकृत समस्त कृषकों से पौध रोपण अनिवार्य रूप से कराया जाए, जिसके लिए जिला कृषि अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।
 4. जनपद स्तर पर वन विभाग के नियन्त्रण में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाए, जिसे 24x7 रूप में क्रियाशील रखा जाए। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए, जिससे वृक्षारोपण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जिज्ञासा व समस्या का त्वरित निराकरण हो सके।
 5. वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कराने हेतु जनपद को सैंक्टर व जोन में विभाजित कर सैंक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए।
 6. जनपद का मास्टर प्लान तैयार किया जाए, जिसमें स्थलवार प्रतिभाग करने वाले माओ जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संस्थाओं/ विभाग आदि के विवरण के साथ नर्सरी से वृक्षारोपण स्थल तक पौध ढुलान का विस्तृत विवरण व उक्त से सम्बन्धित लॉजिस्टिक्स का विवरण सम्मिलित हो।
 7. वृक्षारोपण हेतु समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष विभिन्न वृक्षारोपण स्थलों के अनुश्रवण हेतु अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित करें।

8. सभी विभाग आवण्टित लक्ष्य के सापेक्ष कराए गए वृक्षारोपण की सिंचाई एवं सुरक्षा हेतु स्वयं उत्तरदाई होंगे।
9. वृक्षारोपण कार्यक्रम के वृहद प्रचार-प्रसार हेतु जिला सूचना अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।
10. वृक्षारोपण अभियान में भारत सरकार के विभागों/ संस्थाओं को जोड़ते हुए उनका पूरा सहयोग प्राप्त किया जाए।
- 6- निम्न बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाए:-
 1. वृक्षारोपण अभियान, 2026, के अन्तर्गत समस्त वृक्षारोपण माओ प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए आह्वान 'एक पेड़ माँ के नाम' थीम के अन्तर्गत कराया जाए।
 2. वृक्षारोपण अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए प्रभावशाली स्लोगन जैसे 'जन जन की भागीदारी, हरित आवरण की तैयारी', 'हर खेत में मेड़-हर मेड़ पर पेड़', 'पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं' आदि के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए।
 3. सोशल मीडिया, वॉल राइटिंग, कम्प्यूनिटी रेडियो, एफएम रेडियो आदि माध्यमों से हर किसी को वृक्षारोपण अभियान, 2026 में सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
 4. स्कूलों, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान के बारे में छात्रों एवं युवाओं को Sensitise किया जाए।
 5. प्रत्येक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम की बैठकें बुलाकर जन-जन में उक्त वृक्षारोपण अभियान का संदेश पहुँचाया जाए एवं समाज के हर वर्ग तथा Civil Society Organizations को जोड़ने का कार्य किया जाए।
 6. Resident Welfare Associations (RWAs) एवं अन्य औद्योगिक या आवासीय परिसरों को भी इस अभियान से जोड़कर प्रत्येक नागरिक को इससे जोड़ा जाए।
- 7- इस वृक्षारोपण अभियान के सफलतापूर्वक संचालन हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग के मुख्यालय पर स्थित कमाण्ड सेंटर में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कन्ट्रोल रूम के माध्यम से जिला मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम से प्राप्त समस्त सूचनाओं अर्थात् समीक्षा रिपोर्ट, फोटोग्राफ, वीडियो, वृक्षारोपण की प्रगति इत्यादि से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं प्राप्त कर संकलित की जाएंगी। जनपदों द्वारा उपरोक्त सूचनाएं वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल <http://upfd.in/UPFDmedia/Secure/login/login.aspx> पर अपलोड की जाएंगी।
- 8- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वृक्षारोपण अभियान, 2026 में समाज के सभी लोगों का सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता प्राप्त करते हुए इसे वृहद अभियान का रूप दिया जाए। जनपद में उक्त के सम्बन्ध में ऐसा वातावरण सृजित किया जाए कि आम जनमानस भी स्वयमेव इससे जुड़ जाए।
- 9- उक्त निर्देशों के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 12/81-5-2026/1991816 दिनांक 27 जनवरी, 2026 में रोपण की रणनीति, पौध उपलब्धता, उपयुक्त प्रजाति के चयन, वित्तीय व्यवस्था, समय सारणी, स्थलीय सत्यापन, अनुश्रवण व मूल्यांकन तथा वृक्षारोपण से सम्बन्धित अन्य पहलुओं पर दिए गए निर्देश यथावत रहेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इस अभियान को सफल बनाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवेदीय
(एसओपीओ मॉडल)
मुख्य सचिव

पत्रांक-204/ 81-5-2026 तद दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग, पंचायतीराज विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, नगर विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, रेशम विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपम विभाग, ऊर्जा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, उद्यान विभाग तथा गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. हैडक्वार्टर सेंट्रल कमाण्ड, रक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)।
4. डीओआरओएमओ, एनओआरओ एवं एनओईओआरओ, रेलवे विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)।
7. समस्त जोनल/ मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)।
8. समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष)।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीओ हेक्पली) डिमोमी
प्रमुख सचिव

[illegible]

[illegible]

परिशिष्ट-2

प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रोपित की जाने वाली उपयुक्त प्रजातियों का विवरण

- 1- **तराई-भाबर जोन**
 - (क) ईधन वाली प्रजातियाँ - बबूल, यूकेलिप्टस, सुबबूल, काला सिरस
 - (ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ - अर्जुन (टरमिनेलिया अर्जुन), अरू (बाइलैन्थस इन्सेल्सा), असना (टरमिनेलिया इलाटा), बबूल, बहेडा, बेसी (सैलिक्स टेडिस्पर्मा, बकैन, धौरा, कटहल (आर्टोकार्पस हीटेरोफिलस), लसोड़ा (कार्डिया डाइकोटेमा), पूला (फीडिया कैन्टीतिना), कुईराल (वाहीनिया पपूरिया), सोदन, सुबबूल और शहबूत
 - (ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ - शीशम, जामुन, पीपल, सागीन, गम्हार (मेलायना आरबोविया)
 - (घ) फलदार प्रजातियाँ - आम, ओवला, बहेडा, बेज, बेर, जामुन, कटहल, लसोड़ा आदि।
 - (ङ) शोभाकार प्रजातियाँ-केशिया सियामिया, सेमल, जरूल (लेगसीडमिया फलासरेजाइना), अमलतास, कचनार, गुलमोहर, एल्सटोनिया (छितवन), कदम्ब
 - (च) पर्यावरण प्रजातियाँ - पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर
- 2- **तराई जोन**
 - (क) ईधन वाली प्रजातियाँ - बबूल, ढाक, सुबबूल, सिद्धा (लेगसीडमिया पार्वीफलोरा) प्रोसोपिस (विलायती बबूल)
 - (ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ - अरू, बबूल, बकैन, बेर, कचनार, पूला, सुबबूल संजना, नीम, बेसी, सेलिक्स
 - (ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ - असना/सेन, बबूल, बांस, सागीन, शीशम, नीम, जामुन आदि
 - (घ) फलदार प्रजातियाँ - ओवला, बेर, इमली, कटहल, लसोड़ा, महुआ, संजना आदि
 - (ङ) शोभाकार प्रजातियाँ - अमलतास, कैसिया, सेमल, मदार/कोरल ट्री (एरीथाइना इण्डिका), कचनार, गुलमोहर, जकरन्डा, कदम्ब (एन्थेसिफलस कदम्बा) सीता अशोक, पालीएन्थिया लॉजीफोलिया, नीम, चमेली, आकाश नीम, पेन्टोफोरम, मौलघी (माइमूसाप्पा एलेगी)
- 3- **गंगेय क्षेत्र (पश्चिमी)**
 - (क) ईधन वाली प्रजातियाँ - बबूल, ढाक, इमली, फराश, कंजी, सुबबूल, प्रोसोपिस (विलायती बबूल), काला सिरस
 - (ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ - अरू, बबूल, बेर, कचनार, लसोड़ा, नीम, काला सिरस, सुबबूल
 - (ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ - शीशम, जामुन, सागीन, बबूल, कंजू, नीम, आम
 - (घ) फलदार प्रजातियाँ - आम, इमली, बेर, ओवला, महुआ, कचनार, संजना, कैसा, खिन्नी, लसोड़ा आदि
 - (ङ) शोभाकार प्रजातियाँ - कनकचम्पा, अमलतास, केशिया, सियामिया, अशोक, गुलमोहर, कचनार, नीम, चमेली, सेमल, मदार, जकरन्डा, कदम्ब
- 4- **गंगेय क्षेत्र (पूर्वी)**
 - (क) ईधन वाली प्रजातियाँ - अर्जुन, बबूल, इमली, कंजी, सुबबूल, विलायती बबूल, ढाक आदि
 - (ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ - अरू, बेर, धौरा, कचनार, काला सिरस, सफेद सिरस, नीम, लसोड़ा, सुबबूल आदि।
 - (ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ - शीशम, सागीन, जामुन, आम, महुआ, काला सिरस, कंजू, कठ सागीन
 - (घ) फलदार प्रजातियाँ - आम, ओवला, महुआ, बेर, कटहल, इमली, कचनार, महुआ, सहजन और जामुन आदि
 - (ङ) शोभाकार प्रजातियाँ - बहू सभी प्रजातियाँ जो गंगेय क्षेत्र पश्चिमी में दी गई हैं।
- 5- **विन्ध्य जोन**
 - (क) ईधन वाली प्रजातियाँ - बबूल, करघई, कन्जी, विलायती बबूल, सुबबूल, अंजन, बेर और कंकोर
 - (ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ - बबूल, बेर, कचनार, काला सिरस, सहजन, अंजन
 - (ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ - शीशम, काला सिरस, सागीन, महुआ
 - (घ) फलदार प्रजातियाँ - बेर, खिरौंजी, खिरनी, महुआ, ओवला, शरीफा
 - (ङ) शोभाकार प्रजातियाँ - अमलतास, नीम, चमेली
- 6- **निम्न प्रजातियाँ जलमग्न क्षेत्र के लिए उपयोगी हैं (पानी कुछ महीने ही जमा रहता हो):** अर्जुन, जामुन, बेसी, गुटेल, सफेद सिरस, ढाक।
- 7- नदियों के किनारे पानी वाली भूमि जहाँ वर्षा में बाढ़ आ जाती है-

प्रारूप-1
कृषकों द्वारा रोपित पौधों के सम्बन्ध में सूचना

क्र० सं०	कृषक का नाम	पिता का नाम	पता	मोबाइल नम्बर	स्थल का नाम	गाँवा संख्या	रोपित पौधों का विवरण		जीवित पौधों की संख्या	पौधों का श्रोत	कृषक के हस्ताक्षर
							प्रजाति	संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रारूप-2
[सामुदायिक/राजकीय परिसर/स्कूल/रेल/नहर/सड़क/पट्टी की भूमि/ अन्य भूमि] पर रोपित पौधों के सम्बन्ध में सूचना

क्र० सं०	सामुदायिक/ राजकीय परिसर/स्कूल/रेल/नहर/ सड़क/पट्टी की भूमि/अन्य भूमि	पता	स्थल का नाम	रोपित पौधों का विवरण		जीवित पौधों की संख्या	पौधों का श्रोत	विभाग का नाम	रोपण प्रभारी का नाम	रोपण प्रभारी के हस्ताक्षर
				प्रजाति	संख्या					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रारूप-3
विभागों द्वारा सत्यापन की सूचना

विभागों द्वारा सत्यापन की सूचना							
वृक्षारोपण वर्ष-			जनपद का नाम-				अभ्युक्ति
क्र०सं०	विभाग का नाम	वृक्षारोपण स्थलों की संख्या	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	जीवितता प्रतिशत	सत्यापित स्थलों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप-4
जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा गठित अर्न्तविभागीय जांच समिति द्वारा किये गये सत्यापन की सूचना

वृक्षारोपण वर्ष-					जनपद का नाम-				अभ्युक्ति
विभाग का नाम	वृक्षारोपण स्थलों की संख्या	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	जीवितता प्रतिशत	सत्यापन करने वाले अधिकारी का विवरण				
					विभाग	अधिकारी का नाम	पदनाम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	